"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 151] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 21 जून 2002—ज्येष्ठ 31, शक 1924

परिवहन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 जून 2002

अधिसूचना

क्रमांक एफ -5-13/परिवहन/2002.—राज्य शासन इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 572/परिवहन/2001 दिनांक 11-9-2001 क्रमांक 126/परिवहन/2002 दिनांक 2-2-2002 एवं क्रमांक एफ-5-13/परिवहन/2002 दिनांक 29-5-2002 की निरंतरता में केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 के नियम 108 के परंतुक के खण्ड-3 के उद्देश्यों के लिए निम्नलिखित विशिष्ट व्यक्तियों को भी निम्नानुसार विनिर्दिष्ट करता है :—

शासकीय वाहनों के अग्रभाग पर पीली बत्ती लगाने हेतु—

1. नगर पालिका निगम के अध्यक्ष (उनके क्षेत्राधिकार में)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. विजयवर्गीय, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 21 जून 2002

क्रमांक एफ -5-13/परिवहन/2002.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना समसंख्यक दिनांक 21-6-2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. विजयवर्गीय, प्रमुख सचिव.

Raipur, the 21st June 2002

NOTIFICATION

No. F-5-13/Transport/2002.—The State Government in continuation of this department notification No. 572/ Transport/2001 dated 11-9-2001, No. 126/Transport/2002 dated 2-2-2002 and No. F-5-13/Transport/2002 dated 29-5-2002 hereby specify the following persons also for the purpose of clause (iii) of the provision to the rule 108 of the Central Motor Vehicle Rules, 1989 namely :—

The use of Amber light on the top of government vehicles—

1. Speakers, Municipal Corporation (within their jurisdiction)

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh.
A. K. VIJAYAVARGIYA, Principal Secretary.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.